न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-27/2022

राज्य

बनाम्

मो0 मैनुद्दीन

—: आदेश :—

08/07/22

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 1230/अप0शा0 दिनांक 21.06.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या—81/2022 दिनांक—23.04.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा धारा—379/411 भा0द0वि0, धारा—30(ii) कोयला खान अधिनियम, धारा—13 झारखण्ड खनिज(अवैध खनन पर रोक परिवहन एवं भण्डारण) अधिनियम एवं धारा—33 भारतीय वन अधिनियम के तहत कांड में जप्त ट्रक रजि0 संख्या— JH02AW-7103 को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया गया है।

विपक्षी को पक्ष रखने के लिए बार—बार नोटिस निर्गत कर तामिला कराया गया तथा निर्गत नोटिस को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। जप्त ट्रक रजि0 संख्या—JH02AW-7103 के वाहन स्वामी मो0 मैनुद्दीन पिता—मो0 हानिफ सा0—कमता, थाना—टण्डवा, जिला—चतरा द्वारा नोटिस प्राप्त करने के बाद भी उपस्थित होकर पक्ष रखने में अभिरूची नहीं लिया गया। फलस्वरूप वाद को एकपक्षीय करते हुए राज्य की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वाद की सुनवाई की गयी।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि स0अ0नि0 पारसनाथ प्रसाद, पे0—स्व0 जुगल किशोर प्रसाद, सा0—मुडा, थाना— गरौली, जिला—सिवान (बिहार) वर्तमान बालूमाथ थाना अन्तर्गत मारंगलोईया पिकेट प्रभारी के पद पर कार्यरत के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त ट्रक रजि0

संख्या–JH02AW-7103 के वाहन स्वामी मो0 मैनुदीन पिता–मो0 हानिफ सा0–कमता, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा के विरूद्ध अवैध रूप से कोयला का खनन एवं भण्डारण कर परिवहन करने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है। प्राथमिकी, घटना स्थल का निरीक्षण, वादी एवं गवाहों का बयान, जप्ती सूची, अबतक का अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से यह काण्ड धारा–379/411 भा0द0वि0, धारा–30(ii) कोयला खान अधिनियम, धारा–13 झारखण्ड खनिज(अवैध खनन पर रोक परिवहन एवं भण्डारण) अधिनियम एवं धारा–33 भारतीय वन अधिनियम के विरूद्ध सत्य पाया गया है। अवैध कोयला के परिवहन कार्य में संलिप्त वाहन को राजसात करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत काण्ड में जप्त ट्रक रजि0 संख्या– JH02AW-7103 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन का निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.04.21 13:46:54 +05:30
Location: 10.93.47.5